राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 23/2013/वाद पत्र	तारीख दायर 01.03.20013	तारीख फैसला 31.05.2017

उनवान

मांगू पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– मिश्री पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया (फोत)
1/1 रामस्वरूप पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/2 बद्री पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/3 भोलू पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/4 रामेश्वर पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/5 माधू पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
2– बद्री पिता उदा जाट निवासी चलानिया
3– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की ग्राम चलानिया प0म0 लूंलास की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 210 कुल किता 13 रकबा 4.64 है0 स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 का बराबर – बराबर 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हक हिस्से 1/3 भूमि मे अधिक लागत लगाकर और अधिक उपजाउ बनाना चाहता है। लेकिन वर्तमान मे भूमि संयुक्त होने से ऐसा करना संभव नही है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री अमर अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद के पेरा 1 मे वर्णित कुलिया आराजीयात जिसमे वादी का 1/3 हक हिस्सा निहित है एवं उक्त हिस्से अनुसार वर्तमान मे वादी जिस भू–भाग पर काबिज है उस हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.06.2013 को प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 26.05.2016 को मिश्री की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश किया गया। प्रकरण दिनांक 31.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र लूंलास पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। जिसमे वादी व प्रतिवादीगण तथा मिश्री के कायम मुकाम की तलबी की गई। दिनांक 31.05.2017 को वादी मय अभिभाषक

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपस्थित हुए। मिश्री के कायम मुकाम मे से रामस्वरूप, भोलू, माधु जाट उपस्थित हुए जिन्होने बताया कि हम आपसी सहमति एवं रजामन्दी से वादी एव हम 1/3 – 1/3 हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसी अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वादी की एक तरफा बहस सुनी गई जिसमे अभिभाषक वादी ने बहस मे बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण उनकी सहमति से मौके पर 1/3 – 1/3 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा मिश्री के उपस्थित कायम मुकाम ने भी कोई आपत्ति नही होना मौखिक जाहिर किया है। अतः वादी वादी स्वीकार फरमाया जावे। मैने बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपस्थित पक्षकारान द्वारा बताई गई मौखिक सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम चलानिया प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 210 मे कुल किता 13 रकबा 4.64 है0 मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 मिश्री के वारिसान का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 बद्री का 1/3 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पक्षकारान के कब्जे का ध्यान मे रखते हुए पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र लूंलास मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खोड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
बईजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

मांगू पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– मिश्री पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया (फोत)
1/1 रामस्वरूप पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/2 बद्री पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/3 भोलू पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/4 रामेश्वर पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
1/5 माधू पिता मिश्रीलाल जाट निवासी चलानिया
2– बद्री पिता उदा जाट निवासी चलानिया
3– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **53 आर0टी0ए0**
मुकदमा नम्बर **23/2013 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम चलानिया प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 210 मे कुल किता 13 रकबा 4.64 है0 मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 मिश्री के वारिसान का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 बद्री का 1/3 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पक्षकारान के कब्जे का ध्यान मे रखते हुए पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख **31** माह **05** सन् **2017** को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)